

कार्यालय,
-----, जिला.....

कार्यालय आदेश

श्रीमती ने अपने आवेदन पत्र दिनांक के द्वारा चिकित्सक की सलाह पर अपना पुत्र की देखभाल /अध्ययन हेतु दिनांक से तक कुल दिवस की चाइल्ड केयर लीव हेतु आवेदन किया है।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक NO.F.1(6)FD/RULES/2011/जयपुर, दिनांक 22 मई 2018 में वर्णित निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम 103 C के तहत श्रीमती की कुल दिवस की चाइल्ड केयर लीव उक्त आदेशमें वर्णित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती हैं।
राजस्थान सेवा नियम 103 C के बिंदु संख्या 2(i)के अनुसार इन्हें उक्त अवकाश अवधि का अवकाश वेतन देय होगा। इस अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रविष्टी सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में कर दी गयी है।

प्रधानाचार्य

क्रमांक -

दिनांक :

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ-

1. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक..... ,
2. श्रीमती.....
3. निजी पंजिका,
4. कार्यालय प्रति

प्रधानाचार्य